

292
29/05/15

उत्तराखण्ड शासन
माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-नवसृजित
संख्या- 390(A)/XXIV-नवसृजित/2015-32(01)/2013
देहरादून: दिनांक 27 मई, 2015

29/5/15
DE

अधिसूचना संख्या-390/XXIV-नवसृजित/2015-32(01)/2013 दिनांक 27 मई, 2015 द्वारा प्रख्यापित "उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन(पंचम संशोधन) नियमावली, 2015" की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री रूड़की(हरिद्वार) को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अधिसूचना को असाधारण गजट, विधायी परिशिष्ट भाग-4 में मुद्रित करा कर इसकी 500 प्रतियां माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-नवसृजित, उत्तराखण्ड शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 2- निजी सचिव, मा0 विद्यालयी शिक्षा मंत्री जी उत्तराखण्ड शासन।
- 3- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड शासन।
- 5- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
- 6- प्रमुख सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
- 7- महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
- 8- मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमायूं मण्डल, पौड़ी एवं नैनीताल, उत्तराखण्ड।
- 9- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
- 10- महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 11- स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 12- निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 13- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 14- निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड।
- 15- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 16- समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा एवं बेसिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
- 17- अधिशासी निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय, परिसर, देहरादून।
- 18- समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय

(वी0एस0 पुण्डरीर)
अनुसचिव

उत्तराखण्ड शासन
माध्यमिक शिक्षा, अनुभाग-(नवसृजित)
संख्या: 390/XXIV-(नवसृजित)/2015-32(01)/2013
देहरादून, दिनांक : 27 मई, 2015

अधिसूचना
प्रकीर्ण

राज्यपाल, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2014 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-


उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन (पंचम संशोधन) नियमावली, 2015

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1(1) उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन (पंचम संशोधन) नियमावली, 2015 है। (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
नियम-10(1)(अ)(ख) (तीन) (छूट का प्राविधान), 10(2)घ के अन्त में टिप्पणी का अन्तस्थापन- (अनुरोध के आधार पर), नियम-22(1) एवं 22(2) का अन्तस्थापन	2. उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2014 में एतदपश्चात् इंगित विवरणानुसार स्तम्भ-1 में नियम-10(1)(अ)(ख) (तीन) (छूट का प्राविधान), 10(2)घ के अन्त में टिप्पणी का अन्तस्थापन- (अनुरोध के आधार पर), नियम-22(1) एवं 22(2) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिये गये नियम रख दिये जायेंगे, अर्थात्-

स्तम्भ-1		स्तम्भ-2	
वर्तमान नियम		एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम यथावत्	
3. नियम-10(1)(अ)(ख)(तीन) (छूट का प्राविधान)	नियम-22 में उल्लिखित सीमा के अधीन गम्भीर रूप से बीमार/विकलांग शिक्षक, विधवा, परित्यक्ता, विधुर, (जैसा कि नियम-9(1) नोट में वर्णित है)/भारतीय सेना में कार्यरत सैनिक की पत्नी/जीवित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पुत्री जिन पर वे पूर्णतया आश्रित हों/शिक्षक के मानसिक रूप से विकसित पति/पत्नी अथवा विकसित बच्चों के शिक्षक माता/पिता।		

	<p>परन्तु यह कि ऐसे शिक्षक, जिनके पति/पत्नी अथवा अविवाहित बच्चे कैंसर, एड्स/एच0आई0वी0 (पॉजिटिव), हृदय बाइपास सर्जरी, हृदय बाल्व सर्जरी, दोनों किडनी फेल (डायलिसिस पर निर्भर) अथवा ब्रेन ट्यूमर से ग्रसित हों, को नियम-22 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन एवं ऐसे शिक्षक जिनके पति/पत्नी, अविवाहित बच्चे 60 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग हों, को राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के आधार पर अनिवार्य स्थानान्तरण से छूट अनुमन्य होगी।</p>	<p>परन्तु यह कि ऐसे शिक्षक, जिनके पति/पत्नी अथवा अविवाहित बच्चे कैंसर, एड्स/एच0आई0वी0 (पॉजिटिव), हृदय बाइपास सर्जरी, हृदय बाल्व सर्जरी, दोनों किडनी फेल (डायलिसिस पर निर्भर) अथवा ब्रेन ट्यूमर से ग्रसित हों, को नियम-22 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन एवं ऐसे शिक्षक जिनके पति/पत्नी अथवा अविवाहित बच्चे 60 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग हों को अनिवार्य स्थानान्तरण से छूट अनुमन्य होगी, किन्तु विकलांगता के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र एवं गम्भीर रोग के सम्बन्ध में एक वर्ष तक की अवधि का राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।</p>
<p>4. नियम-10(2)घ के अन्त में टिप्पणी का अन्तस्थापन- (अनुरोध के आधार)</p>	<p>टिप्पणी- 60 प्रतिशत या उससे अधिक शारीरिक रूप से विकलांग अविवाहित बच्चे के शिक्षक माता या पिता, बच्चे की 60 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता का राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण करने हेतु पात्र होंगे।</p>	<p>टिप्पणी- 60 प्रतिशत या उससे अधिक शारीरिक रूप से विकलांग अविवाहित बच्चे की शिक्षक माता या पिता बच्चे के 60 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता का मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण करने हेतु पात्र होंगे।</p>
<p>5. नियम-22(1) का संशोधन</p>	<p>गम्भीर रोग के अन्तर्गत कैंसर, ब्लड कैंसर, एड्स /एच0आई0वी0 (पॉजिटिव), हृदय की बाइपास सर्जरी, हृदय वॉल्व सर्जरी, हृदय एन्जियो प्लास्टी, हृदय पेस मेकर, एक किडनी फेल होने पर, दोनो किडनी फेल हो जाने से डायलिसिस पर निर्भर, ट्यूबरकुलोसिस (दोनों फेफड़े खराब हो जायें), सीर्स (थर्ड स्टेज), कॉनिक आर्थराइटिस विद डिफॉरमिटी विद डिसएबिलिटी एवं ब्रेनट्यूमर के गम्भीर रोग हों, को राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा विगत एक वर्ष के अन्दर प्रदत्त प्रमाण पत्र तथा शिक्षण कार्य हेतु चिकित्सीय रूप में स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।</p> <p>परन्तु यह कि ऐसे शिक्षक, जिनके पति/पत्नी अथवा अविवाहित बच्चे कैंसर, एड्स /एच0आई0वी0 (पॉजिटिव), हृदय की बाइपास सर्जरी, हृदय बाल्व सर्जरी दोनों किडनी फेल (डायलिसिस पर निर्भर) अथवा ब्रेन ट्यूमर के गम्भीर रोग अथवा मानसिक रूप से विकसिप्त/विकलांग के अन्तर्गत एवं ऐसे शिक्षक जिनके पति/पत्नी, अविवाहित</p>	<p>यथावत्</p> <p>परन्तु यह कि ऐसे शिक्षक, जिनके पति/पत्नी अथवा अविवाहित बच्चे कैंसर, एड्स /एच0आई0वी0 (पॉजिटिव), हृदय की बाइपास सर्जरी, हृदय बाल्व सर्जरी दोनों किडनी फेल (डायलिसिस पर निर्भर) अथवा ब्रेन ट्यूमर के गम्भीर रोग के अन्तर्गत 01 वर्ष तक की अवधि का राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, परन्तु ऐसे शिक्षक, जिनके</p>

	<p>बच्चे 60 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग हों, को 01 वर्ष पूर्व तक का राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा प्रदत्त संबंधित रोग का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।</p> <p>परन्तु नियमावली में उल्लिखित उक्त बीमारियों/ प्रमाण पत्रों पर संशय होने की दशा में 01 वर्ष के अन्दर पुनः परीक्षण किया जा सकेगा।</p> <p>परन्तु और कि स्थानान्तरण के उपरान्त पदोन्नति पर पदस्थापना के दौरान उक्तवत् बीमारी/ विकलांगता का 01 वर्ष पूर्व तक की अवधि का राज्य चिकित्सा परिषद् प्रदत्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।</p>	<p>पति/पत्नी/अविवाहित बच्चे 60 प्रतिशत या अधिक विकलांग हों, अथवा मानसिक रूप से विकसित/ विकलांग हों, को मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।</p> <p>यथावत्</p> <p>परन्तु और कि स्थानान्तरण के उपरान्त पदोन्नति पर पदस्थापना के दौरान उक्तवत् बीमारी 01 वर्ष पूर्व तक की अवधि का राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। विकलांगता के आधार पर छूट हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।</p>
<p>6. नियम-22(2) का संशोधन</p>	<p>विकलांगता के अन्तर्गत 50 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग शिक्षक, विकलांगता प्रमाण पत्र राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा प्रदत्त हो। साथ ही मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त शिक्षण कार्य हेतु चिकित्सीय रूप से स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।</p>	<p>विकलांगता के अन्तर्गत 50 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग शिक्षक, विकलांगता प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त हो। साथ ही मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त शिक्षण कार्य हेतु चिकित्सीय रूप से स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।</p>

आज्ञा से,

(डा० एम०सी०जोशी)
सचिव।